

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/

दिनांक :

आदेश

उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक : प.24 (46)/चिस्वा./ग्रुप-3/2010 लूज दिनांक 26.02.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 12064/2020 रुही नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.12.2020 की पालना में उक्त संस्था को याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन निर्देशानुसार सत्र 2020-21 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निजी नर्सिंग संस्था का नाम उनके सम्मुख अंकितानुसार विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फ़ैडरेशन कोटे से
1.	160	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार रुही नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर0सी0 व्यास कॉलोनी, कोटा बायपास, भीलवाडा	भीलवाडा	60	30	30

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

*Sel*

(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर

दिनांक : 22/3/21

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/ 232

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, भीलवाडा।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

*Y*

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर